उत्तराखण्ड शासन,
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)–7
संख्या 225 /XXVII(7)/2009
देहरादून दिनांक 02 सितम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 916/चि–2–2003–88/2003 दिनांक 11 अगस्तर 2003 द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा सेवा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के राजकीय चिकित्सकों/दन्त शल्यक चिकित्सकों को प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध के एवज में प्रैक्टिस बन्दी भत्ता का पुनरीक्षण इस आशय से किया गया था कि पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन तथा प्रक्टिस बन्दी भत्ते के योग की अधिकतम सीमा रू0 26000 मासिक होगी। शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 168/XXVII(3) म.पे./2005 दिनांक 30 अप्रेल 2005 में मात्र इस आशय का स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि मूल वेतन में किस प्रकार प्रक्टिस बन्दी भत्ते को मंहगाई वेतन हेतु जोड़ा जायेगा। कतिपय प्रकरणों में मूल वेतन एवं प्रक्टिस बन्दी भत्ते की धनराशि रू0 26000से अधिक आंगणित की गई है जो सही नहीं है। मूल वेतन जिसमें वृद्धि रोध वेतन वृद्धि साामिल है, को जोड़कर रू0 26000 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा 50 प्रतिशत मंहगाई वेतन जोडने पर पेंशन हेतु अर्ह सेवा पूर्ण होने पर अधिकतम रू0 39000 ही पेंशन के लिए प्रतिमाह आंगणित किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30–4–2005 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त

संख्या 225 /XXVII(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाथ। एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादूनं
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्लीं
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवारलय के समस्त अनुभाग।
10. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव